

टीपें और आजायें

अनु सचिव,

कृपया गत टीप पृष्ठ 97 के तलांश पर मा0विभागीय मंत्री जी द्वारा दिये गये निर्देशों का अवलोकन करना चाहें।

2. अवगत करना है कि प्रकरण जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 100 अवर अभियन्ताओं के नियोजन के सम्बन्ध में है। उक्त सम्बन्ध में गत टीप पृष्ठ 96-97 के क्रम में मा0विभागीय मंत्री जी द्वारा निम्नवत् निर्देशित किया गया है :-

"उपरोक्त अवर अभियन्ताओं को कैबिनेट के निर्णय के क्रम में P.M.C/आउटसोर्स एजेन्सी के माध्यम से शीघ्र योजित करने की कार्यवाही की जाय"

3. अवगत कराना है जल जीवन मिशन के अन्तर्गत उक्त 100 अवर अभियन्ताओं के नियोजन के सम्बन्ध में कार्यालय आदेश संख्या-850 दिनांक 15.07.2021 (प/क) निर्गत किया गया है, जिसमें उक्त नियोजन, मिशन निदेशक, जल जीवन मिशन द्वारा उपनल के माध्यम से कराये जाने के निर्देश हैं। चूंकि उक्त नियोजन अब P.M.C/आउटसोर्स एजेन्सी के माध्यम से कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं, अतः कार्यालय आदेश दिनांक 15.07.2021 में संशोधन किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्तानुसार कृपया आदेशार्थ/निर्णयार्थ। तत्सम्बन्धी आलेख्य भी तैयार कर पत्रावली में रक्षित है।

Salin
30.7.2021

Kaulraj
30.07.21

पंकज कुमार मिश्र
अनुभाग अधिकारी,
पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग-1,
उत्तराखण्ड शासन।

अवगत कराया जाता है कि उपनल स्वयं एक आउटसोर्सिंग एजेंसी है, अतः संदर्भित 100 अवर अभियन्ताओं के भर्जन हेतु अन्य आउटसोर्सिंग एजेंसी का भर्जन किया जाता होगा। तदनुसार भालेख पत्रावली के समक्ष प्रामोदगार्थ प्रस्तुत है।

उपसचिव

Ok
30/7/2021
(अनुसचिव)

व.स/स.0

सचिव महोदय,

(सचिव महोदय)

सचिव,
पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग-1,
उत्तराखण्ड शासन।

नितेश कुमार झा
सचिव,
पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग-1,
उत्तराखण्ड शासन।

उदय राज सिंह
अपर सचिव,
ग्राम्य विकास एवं पेयजल

(महावीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव,
पेयजल एवं सचिवालय
प्रशासन विभाग
उत्तराखण्ड शासन।



सूचना का
अधिकार

(रजिस्टर्ड/स्प्रीड पोस्ट)

उत्तराखण्ड शासन

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग-1

संख्या-लो0सू0अ0-57/उत्तीस(1)/2021-(35 सू0अ0)2021

देहरादून : दिनांक : 15 दिसम्बर, 2021

श्री प्रवीण शर्मा पीन्नी,
पुत्र श्री योगेश शर्मा,
जिला मीडिया प्रमारी, जन संघर्ष मोर्चा,
जीवनगढ़, पो0 अम्बाड़ी, देहरादून।

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में अपने अनुरोध पत्र दिनांक 04.12.2021, जो इस लोक प्राधिकारी स्तर पर दिनांक 10.12.2021 को प्राप्त हुआ है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. अवगत कराना है कि आपके उक्त अनुरोध पत्र 04.12.2021 में उल्लिखित वांछित सूचना के सम्बन्ध में निम्नवत् अवगत कराना है :-

विन्दु संख्या	उपलब्ध/धारित सूचना	कुल पृष्ठ
1	पत्रावली संख्या-(09 अधि0)/2020 के टीप पृष्ठ संख्या-63 से 98	35
	शासन के पत्र संख्या-768 दिनांक 30.06.2021	02
	शासन का पत्र संख्या-850 दिनांक 15.07.2021	01
	शासन का पत्र संख्या-934 दिनांक 30.07.2021	01
	शासन का पत्र संख्या-987 दिनांक 10.08.2021	01
2	विन्दु संख्या-2 के सम्बन्ध में इस लोक प्राधिकारी स्तर पर कोई सूचना उपलब्ध/धारित नहीं है।	-
	कुल पृष्ठ :-	40

3. उक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित कुल 40 पृष्ठों की धारित सूचना, अनुरोध पत्र दिनांक 04.12.2021 में आपके द्वारा संलग्न श्री योगेश शर्मा के बी0पी0एल0 कार्ड के सापेक्ष उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली, 2013 में की गयी व्यवस्था के तहत इस पत्र के साथ संलग्न कर निःशुल्क उपलब्ध करायी जा रही है। उक्त के अतिरिक्त यदि आप संगत पत्रावली का अवलोकन करना चाहते हैं, तो किसी भी कार्यदिवस पर अवरोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में स्वयं के व्यय पर उपस्थित होकर पत्रावली के अवलोकनोपरान्त सूचना चिन्हित कर यथानियम प्रक्रिया सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

आपके उक्त पत्र में वांछित विन्दुओं से सम्बन्धित उपरोक्तानुसार धारित सूचना से इतर यदि आप यदि आप उक्तनुसार प्रस्तर 2 में उल्लिखित सूचना से सन्तुष्ट न हों तो, विभागीय अपीलार्थी अधिकारी जिनका पदनाम व पता निम्नवत् है, के सम्मुख सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रथम अपील योजित कर सकते हैं :-

श्री सुनील सिंह,

संयुक्त सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड शासन,
उत्तरी ब्लॉक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम की कैन्टीन के समीप
4-सुभाष रोड, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।

(पंकज कुमार मिश्र)

लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी।

5/12/21

B.P.L. पत्र

पंजी

दिनांक 11/12/21

सेवा में,

लोक ह्यता अधिकारी / सचिव कागजिया
पेम्जल एवं स्वच्छता विभाग
उत्तराखण्ड शासन, डेहरादून

विषय - ह्यता अधिकारी के द्वारा ह्यता दस्तावेज मंगाने विषयक।

प्रति,

कृपया निम्न ह्यता दस्तावेज मंगाने का कष्ट करें।

1- पेम्जल एवं स्वच्छता अनुभाग न के द्वारा दि 08/12/21 (09 कार्य) / 2021
मिति 15/12/21 के द्वारा 100 अर्ब प्रसिद्धताओं के निषेधन हेतु कोर्टा दि 15/12/21
अर्ब मागने में निषेधित हुए 100 अर्ब प्रसिद्धताओं की ह्यता कोर्टा की जाहिया,
सम्बन्धित विभाग को दि 15/12/21 कोर्टा की जाहिया, नौदशीर की जाहिया दस्तावेज मंगाने का
कष्ट करें।

2- विडियो 01:58 के अनुसार सिरा निषेधन जल जीवन सिरा द्वारा 100 अर्ब
प्रसिद्धताओं की निषेधन / निषेधन होने के उपरान्त शासन को प्रेषित दि 15/12/21 कोर्टा की जाहिया,

दिनांक - 11/12/21 कोर्टा की जाहिया

— शासन के जल निषेधन दि 15/12/21 की
जाहिया, निषेधन दस्तावेज हेतु,

प्रति, अर्बिया

प्रवीण शर्मा जीन्नी
उप निषेधन शाखा
जिला प्रशासक शाखा जन सेवा मोर्चा
जीवनार्थ पोर्टल अर्बिया
देहरादून,

RVR1617194IN [UR:RVR1617194IN] वि.सं.
R. VIKASHGAR 50 DEHRADUN (748160)
Counter No: 2.04/12/2021.12:25
To: DR. PRAVEEN SHARMA, ADHICAR, -
PIN: 248001, Dehradun, UP
From: PRAVEEN SHARMA, VIKS
Dt: 11/12/21
Avt: 27.08 (Cash)
(Track on www.indianpost.hmv.in)
(Dial 1800XXXXXXX) (Hear Marks, Stay Safe)